


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1969]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938

No. 1969]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2016

का.आ. 2640(अ).—केन्द्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप- खण्ड (ii) तारीख 16 अक्टूबर, 2014 में का.आ. 2666(अ) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची के दूसरे परंतुक के पश्चात् पैरा 3, उप-पैरा (vi) के बाद निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते यह भी कि विशिष्ट रोगजनक मुक्त थ्रिम्प ब्रूडस्टॉक (लिटोपेनाइअस बन्नामेई तथा पेनाईअस मोनोडोन) के लिए जारी किया गया यह स्वच्छता आयात परमिट प्रसंस्कृत एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा”

[फा. सं. 110-2/2013-व्यापार]

डॉ. ए.जे.वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड-(i) में का.आ. सं. 2666(अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2014 के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार का.आ. सं. 3356(अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2016

S.O. 2640(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries number S.O. 2666(E), dated the 16th October, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

2. In the Schedule to the said notification, in paragraph (3), in sub paragraph (vi), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the Sanitary Import Permit issued for Specific Pathogen Free shrimp broodstock (*Litopenaeus vannamei* and *Penaeus monodon*) shall be valid for a period of one year.”

[F. No. 110-2/2013-Trade]

DR. A. J. V. PRASAD, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.O. 2666(E), dated the 17th October, 2014 and was last amended vide number S.O. 3356(E), dated the 11th December, 2015.